फा.76-1/2011/एनसीटीई/अकाद/A65411-445 9 अप्रैल, 2013

अध्यक्ष, सीबीएसई और
सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को पत्र,
जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

विषय: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पूरा करने की समयावधि को बढ़ाना।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और इन्हें दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित किया गया था।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की शुरुआत के बाद से, सीबीएसई और कर्नाटक सरकार सहित अभ्यर्थियों द्वारा टीईटी पूरा करने के लिए दी जाने वाली समयावधि बढ़ाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं।

अतः, ने 8 मार्च, 2013 को आयोजित अपनी 32वीं बैठक में एनसीटीई समिति ने इस मामले पर विचार किया, जिसमें समिति द्वारा छह महीने की समयावधि को 1.30 घंटे से बढ़ाकर 2.30 घंटे करने या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने और उस पर निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संचालित करने के लिए एनसीटीई दिशानिर्देशों के खंड 7 में यथा निर्धारित समयावधि को छह महीने की अवधि के लिए 1.30 घंटे से बढ़ाकर 2.30 घंटे करने या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने और उस पर निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

ह/-

(डॉ. अनिल शुक्ला)
उप सचिव